भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2046
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दादूमाजरा कूड़ा डंप को साफ करने में बारंबार विलंब

2046. **श्री मनीश तिवारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

कृपया 16 दिसंबर 2024 के अता प्र.सं. 3236 और 13 फरवरी 2025 के अता प्र.सं 1382 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करें किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अनेक वचनपत्रों और उक्त प्रश्नों के उत्तरों में दिए गए आश्वासनों के आलोक में दादूमाजरा कूड़ाघर की सफाई की स्थिति की समीक्षा की है जिसमें दिसंबर 2024 और उसके बाद जुलाई 2025 तक जैव-स्वच्छता उपचार पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन आश्वासनों के विपरीत**,** चंडीगढ़ नगर निगम ने अब कूड़ाघर की सफाई की समय-सीमा 30 नवंबर**,** 2025 तक बढ़ा दी है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ग) पर्याप्त वित्तीय आवंटन और दो कूड़ाघरों की सफाई पहले ही हो जाने के दावों के बावजूद बार-बार समय-सीमा बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं**;**

(घ) वर्तमान में जमा हो रहे शेष पुराने कचरे और समवर्ती कचरे की मात्रा कितनी है**;** और

(ङ) कूड़ाघर की पूर्ण और समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की आयोजना, डिज़ाइन, निष्पादन और संचालन करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों और नियमित क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से किया जाता है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, दादूमाजरा कूड़ा स्थल पर चिह्नित 5.10 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का पूरी तरह से शोधन किया जा चुका है। कूड़ा स्थल पर इकट्ठा लगभग 55,000 मीट्रिक टन असंसाधित कचरे का वर्तमान में शोधन किया जा रहा है। जैसा कि सूचित किया गया है, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुनिश्चित किया है।

****